प्राथमिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा की आरम्भिक कड़ी व आधारशिला

सुभाष चन्द्र चौहान*

शिक्षा के अधिकार को वर्ष २००२ में मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। वर्ष २००६ में शिक्षा के अधिकार का कानून बना और १ अप्रैल २०१० को यह लागू हो गया। इसके अन्तर्गत ६ से १४ वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। 'शिक्षा' व्यक्ति को प्रकृति से संस्कृति की ओर, अन्धकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने वाली प्रक्रिया है। प्राचीन भारत में शिक्षा को अन्तर्ज्योति एवं आत्मबोध का साधन माना जाता था। 'असतो मा सद् गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्माऽमृतं गमय' प्रार्थना बृहदरण्यकोपनिषद् में निर्दिष्ट है। वहीं स्पष्ट भी किया गया है कि असत् व तमस् का अर्थ भी यहाँ मृत्यु ही है और 'सत्' व 'ज्योति' का अर्थ 'अमृत' ही है। मृत्यु से अमरता की ओर ले जाने की प्रार्थना। अमरता अर्थात् समाजीकरण के मूलाधार आत्मतत्त्व या परमात्म तत्त्व अथवा ब्रह्मभाव की प्राप्ति। सामाजिक विकास, संस्कृति संरक्षण एवं राष्ट्र की प्रगति के लिए शिक्षा का महत्त्व सर्वोपरि है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास और परिष्कार करना तथा उसे योग्य बनाना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। बिना शिक्षोपार्जन के कोई भी व्यक्ति श्रेष्ठ विद्वान्, सफल प्रशासक, सम्पन्न व्यवसायी अथवा चतुर एवं अभ्यस्त शिल्पी नहीं हो सकता। देवता भी बुद्धिमानों एवं शिक्षितों पर ही कृपालु थे।[१] देश के सब बच्चों को उत्तम किस्म की स्कूली शिक्षा प्रदान करना विकास का बुनियादी आधार और भारत को ज्ञानवान समाज बनाने की दिशा में किसी भी तरह की प्रगति के लिए न्यूनतम आवश्यक शर्त है। शिक्षा अधिकार कानून के माध्यम से भारत में ६ से १४ साल की उम्र के सभी बच्चों को मुत एवं अनिवार्य शिक्षा पाने के अधिकार को कानूनी रूप दिया गया है। भारत में यूनिसेफ के प्रतिनिधि कैरीन हल्शाफ ने कहा, ''समानता के साथ गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की इस पहल से लाखों बच्चे लाभान्वित होंगे। शिक्षा अधिकार कानून गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं सुनहरे भविष्य पाने के सभी बच्चों के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिये भारत को समृद्धि एवं उत्पादकता की और अधिक उचांइयों तक ले जाने में मददगार साबित होगा।'' अनुमान के अनुसार भारत में ६ से १४ साल उम्र के ८० लाख बच्चे और किशोर स्कूली शिक्षा से वंचित हैं जिनमें ज्यादातर लड़कियां हैं। हमारा विश्व भारत को साथ लिये बगैर २०१५ तक हर बच्चे को प्राथमिक स्कूली शिक्षा देने के सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडीजी) के लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता। भारत में यूनेस्को के निदेशक अरमूगम परसुरामन ने कहा, ''यह कानून माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा तक हर बच्चे की पहुंच की स्थिति में सुधार करने की दिशा में आवश्यक कदम है जिससे भारत राष्ट्रीय शैक्षिक विकास के लक्ष्यों को पूरा करने के और करीब पहुंचेगा।'' उन्होंने खास तौर पर राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस कानून को क्रियान्वित करने के मंत्रालय की प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने कहा, ''यूनेस्को शिक्षा के अधिकार को अपने मिशन का केन्द्र बिन्दु मानता है और वह इस कानून

***शोधछात्र, शिक्षा विभाग अ.प्र.सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)**

के सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये सभी सहयोगियों के प्रयासों में सहयोग करने को तैयार है''।[२] बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार दिलाने की पहल हो चुकी है। लगभग एक शताब्दी की बहस, चर्चा और संघर्ष के बाद शिक्षा का कानून बन पाया। स्वतंत्रता पूर्व १९१५ में गोपालकृष्ण गोखले ने, महात्मा गांधी ने १९३१ में आम शिक्षा के विचारों को बोया था। हमें शिक्षा के अधिकार के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर नजर डालना होगी, जो भारत में सरकार की इसके प्रति नजरिये को स्पष्ट करती है। १९३७ में यानी स्वतंत्रता के पहले गांधी जी ने आठवीं तक की शिक्षा की अनिवार्यता को सामने रखा और १९३९ में वर्धा योजना के जरिये ७ से १४ वर्ष तक के सभी लड़के-लड़कियों के लिये मुत और अनिवार्य शिक्षा की वकालत की।[३] गाँधीजी ने भारत के सम्मुख वर्धा या बेसिक शिक्षा योजना ऐसे समय प्रस्तुत किया, जब देश सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था का पुनर्निर्माण करना चाहता था। इस समय २२-२३ अक्टूबर १९३७ का वर्धा के 'नवभारत विद्यालय' के रजत जयन्ती के अवसर पर गाँधीजी ने वर्धा शिक्षा योजना संबंधी अपने विचार सबके सम्मुख रखे। वाद विवाद के पश्चात् शिक्षा सिद्धान्तों का निरूपण करके बेसिक शिक्षा योजना का सूत्रपात किया गया। बेसिक शिक्षा का तात्पर्य है कि वे विषय अनिवार्यतः सिखा दिये जाये, जिनके आधार पर आगे चलकर कोई भी विद्या सीखी जा सके।[४] गाँधीजी ने बेसिक शिक्षा के जो सिद्धान्त निर्धारित किये वे इस प्रकार हैं - शिक्षा का माध्यम राष्ट्र भाषा हो। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा सात से चौदह वर्ष की अवस्था तक राष्ट्रीय स्तर पर प्रदान की जाय। सम्पूर्ण शिक्षा हस्तकौशल से सम्बद्ध हो। बालक की स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किसी ऐसे विशिष्ट शिल्प का चयन किया जाय जिसमें शिक्षा की अधिक से अधिक संभावनाएं हों और उसी के माध्यम से शिक्षा दी जाय। शिक्षा का स्वरूप स्वावलम्बन युक्त हो अर्थात् इस योजना से क्रमशः अध्यापकों का पारिश्रमिक भी पूरा किया जा सके। शिक्षा अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित हो। नागरिकता के सिद्धांत से युक्त हो अर्थात् यह नई शिक्षा ऐसे आदर्श नागरिकों का निर्माण कर सके जिससे समाज में प्रेम बढ़े। अध्यापकों का प्रशिक्षण १ वर्ष का हो। यदि संभव हो तो गाँव और नगर के अध्यापकों का प्रशिक्षण एक साथ हो तथा अध्यापकों को इसका वेतन मिले, जिससे उनकी जीविका चल सके। इन विचारों को लागू करने में कई दशक लग गये। पन्द्रह अगस्त सन् १९४७ को आजादी के लिए लम्बे संघर्ष के बाद देश स्वतंत्र हुआ। राष्ट्रीय लक्ष्यों की रूपरेखा भारतीय संविधान में तैयार हुई। २६ जनवरी १९५० को भारतीय संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतत्रात्मक धर्मरिपेक्ष समाजवादी गणराज्य बनाने के लिए उसके समक्ष नागरिकों को न्याय (सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक), स्वतंत्रता (विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास धर्म एवं उपासना की), समानता (प्रतिष्ठा एवं अवसर की) तथा भ्रातृत्व (व्यक्ति के गरिमा, राष्ट्र की एकता एवं अखण्डता को सुनिश्चित करे वाला) प्रदान किए जाने का उल्लेख है। ये हमार राष्ट्रीय लक्ष्य हैं, हमारे राष्ट्रीय मूल्य है। इन राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षा (एजूकेशन) को एक सशक्त माध्यम माना गया। संविधान के अनुच्छेद ४५ में निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का दायित्व राज्य सरकार[५] को सौंपा गया था। इस धारा में कहा गया था कि संविधान लागू होने के १० वर्ष के अन्दर राज्य अपने क्षेत्र के सभी बालकों को १४ वर्ष की आयु होने तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद २१ के अधीन शिक्षा का अधिकार एक विवक्षित अधिकार माना जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद १९ जिसमें नागरिकों को वाक्

तथा अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य एवं रोजगार करे के अधिकार दिये गये हैं, भी शिक्षा के अधिकार की ओर संकेत करता है। क्योंकि वाक् तथा अभिव्यक्ति एवं रोजगार के लिए ज्ञान व कौशल होना जरूरी है, इसीलिए यह अधिकार परोक्षतः शिक्षा का अधिकार भी बन जाता है।[६] संविधान लागू किये जाने के समय शिक्षा राज्य सूची में शामिल थी परन्तु १९७७ से इसे समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। केन्द्र तथा राज्य सरकार की यह सम्मिलित जिम्मेवारी हो गयी कि वह शिक्षा के विकास के लिए अपने स्तर से प्रयास करें। ६ से १४ वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा तरह-तरह के प्रयास किये गये। १९८६ का बालश्रम अधिनियम भी शिक्षा के अधिकार की बात करता है। १९८९ में संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता हुआ, भारत ने १९९२ में इस पर हस्ताक्षर किये। इसके अनुच्छेद २८ एवं २९ में अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है। और इसी दौरान विकास के लिये भी खूब जद्दोजहद होती रही। शिक्षा की बात होती रही पर अधिकार न मिला और बिना शिक्षा के अधिकार के विकास संभव नहीं रहा। 'राज्य' ने इस हक को हर कोने से नज़रअंदाज किया और नज़रअंदाज करते हुये ही वर्ष २००२ में छियासीवें संशोधन के द्वारा संविधान में अनुच्छेद २१-क को जोड़कर प्रारम्भिक शिक्षा को नागरिकों का एक मूल अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद २१-क में कहा गया है कि राज्य छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, उस प्रकार की रीति से जैसा राज्य विधि द्वारा आधारित हो, की व्यवस्था करेगा।[५] ८६वाँ संविधान संशोधन मील का पत्थर साबित हुआ जिसके अनुसार ६ से १४ वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है जिससे उसे वंचित नहीं रखा जा सकता। इस प्रकार शिक्षा के अधिकार को वर्ष २००२ में मौलिक अधिकार में शामिल किया। परन्तु इस अधिकार को बच्चों की जिंदगी के करीब लाने में पूरे आठ साल लग गये। वर्ष २००९ में शिक्षा के अधिकार का कानून बना और १ अप्रैल २०१० को यह लागू हो गया। इसके अन्तर्गत 'निःशुल्क' से तात्पर्य किसी भी सरकारी प्रायमरी और मिडिल स्कूल में 'दर्ज' बच्चों को स्कूल में किसी भी प्रकार की फीस नही लगेगी। 'अनिवार्य' से तात्पर्य ६-१४ साल के सभी बच्चों को, पास-पड़ोस के स्कूल में दर्ज करना जरूरी है। कोई शिक्षक किसी बच्चे को एडमिशन के लिए मना नही कर सकते। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों के बच्चों का एडमिशन पास पड़ौस के प्रायवेट स्कूलों में भी किया जा सकता है और बच्चे के मां-बाप या बालक को प्रायवेट स्कूल में भी फीस नही लगेगी। प्रत्येक प्रायवेट स्कूल में कक्षा-१ में कुल स्थानों का २५ प्रतिशत स्थान पर कमजोर वर्ग के बच्चों का एडमिशन करना होगा, अगले साल से कक्षा-१ एवं २ में और उसके बाद क्रमशः एक कक्षा जुड़ती जाएगी। प्राइवेट स्कूल में दर्ज किए गए ऐसे कमजोर वर्ग के परिवारों की ओर से प्रायवेट स्कूल की फीस सरकार द्वारा सीधे स्कूल को भुगतान की जाएगी। शिक्षा अधिकार कानून बाल मजदूरों, विस्थपित बच्चों, विशेष जरूरत वाले बच्चों जैसे गैर लाभाविन्त समूहों अथवा ''सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषायी, लैंगिक या ऐसे ही अन्य कारकों की वजह से वंचितों'' तक पहुंचने का एक परिपक्व मंच प्रदान करता है। अगले पांच साल में १० लाख से अधिक नए और अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित करने तथा मौजूदा शिक्षकों में कौशल वृद्धि करने के लिये सृजनात्मक एवं सतत पहल जरूरी है ताकि बच्चों के लिये उनके अनुकूल शिक्षा सुनिश्चित हो सके। स्कूलों से वंचित ८० लाख बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार समुचित कक्षाओं मे लाना, उन्हें स्कूलों में बने रखने के लिये सहायता देना तथा इसमें सफलता हासिल करना एक बड़ी उपलब्धि होगी।

भारी असमानता को खत्म करने के गुणवत्ता सुनिश्चित करना आवश्यक है। समानता के साथ गुणवत्ता को सुनिश्चित करना तथा विषमताओं को दूर करने के लिये सतत प्रयास जरूरी है।

प्राथमिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा की आरम्भिक कड़ी व आधारशिला है जो बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। औपचारिक शिक्षा का आधारभूत स्तम्भ होने के कारण इसे प्राथमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, प्रारम्भिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, आधारभूत शिक्षा आदि सभी पर्यायवाची शब्द हैं। इन सभी का मुख्यतः एक अर्थ है यद्यपि समय-समय पर लेखकों, समितियों, आयोगों ने विभिन्न शब्दावलियों का प्रयोग किया है। बालकों को ६ वर्ष से १४ वर्ष तक दी जाने वाली शिक्षा प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत आती है जो कक्षा एक से कक्षा ८ तक चलती है।[८] राममूर्ति समीक्षा समिति (१९९०) के अनुसार प्राथमिक शिक्षा दो भागों में विभक्त की गयी है, १. प्राथमिक स्तर (कक्षा १ से ५ तक) एवं २. उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा ६ से कक्षा ८ तक)। किसी भी देश की प्रगति में उस देश की शिक्षा-व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान होता है। पूरी शिक्षा-व्यवस्था का मूल प्राथमिक शिक्षा में निहित होता है। प्राथमिक शिक्षा के स्तर को शिक्षा के पिरामिड की नींव माना जाता है तथा इसका प्रभाव शिक्षा के सभी स्तरों पर परिलक्षित होता है। प्राथमिक शिक्षा जीवन की बुनियाद है। यह वह पहली सीढ़ी है जिसे सफलतापूर्वक पार करके ही कोई व्यक्ति समाज या राष्ट्र उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए अपने अभीष्ट लक्ष्य तक पहुँचता है।

वर्तमान में विश्व स्तर पर प्राथमिक शिक्षा की संकल्पना में मूलभूत परिवर्तन हुए हैं। यूनिसेफ ने बच्चों की सर्वांगीण खुशहाली के लिए प्राथमिक शिक्षा पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है। भारत में इसके लिए तभी से प्रयास किये जा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, १९८६ तथा कार्य योजना, १९९२ में इसके लिए संकल्प किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा कार्य योजना में विभिन्न कार्यक्रमों तथा योजनाओं को चलाने पर बल दिया गया। इनमें से सर्वशिक्षा अभियान, स्कूल चलो अभियान एवं मध्यान्ह भोजन योजना प्रमुख है।

सन्दर्भ :

१. अल्तेकर, डॉ. अनन्त सदाशिव (१९५५): प्राचीन भारतीय शिक्षण पद्धति, नन्दकिशोर एण्ड ब्रदर्स, वाराणसी, पृ. १९९.

२. शिक्षा अधिकार कानून का यूनेस्को, आईएलओ और यूनिसेफ ने स्वागत किया, नयी दिल्ली, भारत, एक अप्रैल, २०१०

३. गुप्त, प्रो. लक्ष्मीनारायण एवं मोहन, प्रो. मदन (२०१०) : महान भारतीय शिक्षाशास्त्री, न्यू कैलाश प्रकाशन, इलाहाबाद, पृ. ३१-३२.
(सुमन, रामनाथ,१९९१:२३१)

४. वशिष्ठ, डॉ. के.के. एवं शर्मा, डॉ. डी.एल. (२०११) : न्यू डाइरेक्शन इन इण्डियन एजूकेशन, आर.लाल बुक डिपो, मेरठ, पृ. १.

५. गुप्ता, एस.पी., अलका गुप्ता (२००९) : भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएँ, शारदा पुस्तक, इलहाबाद, पृ. १०३.

६. गुप्ता, एस.पी., अलका गुप्ता (२००९) : भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएँ, शारदा पुस्तक, इलहाबाद, पृ. १०३.

७. श्रीवास्तव, प्रवीण चन्द्र (२००६): प्रारम्भिक शिक्षा के मूलभूत तत्त्व, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, पृ. २.

******